

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

आरएफपी संदर्भ संख्या:- एमआरओ/एमआरओ/डीओसी/2025/00284

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)-

“ऑन कॉल आधार” पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक
तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,
45, वीर नरीमन रोड,
फोर्ट, मुंबई - 400001, महाराष्ट्र
ई-मेल:romum@nhb.org.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरू होने की तारीख	08.08.2025
2.	बोली पूर्व बैठक की तिथि (तिथि एवं समय)	14.08.2025, 3:00 अपराह्न
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	25.08.2025 11:00 पूर्वाह्न
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	25.08.2025 3:30 अपराह्न
5.	बयाना जमा राशि	रु. 50,000/- (गैर-एमएसई/गैर-स्टार्ट-अप बोलीदाता के लिए)
6.	प्रतिभूति जमा करना	50,000/- रुपये (केवल कार्य आदेश जारी होने से पहले सफल बोलीदाता के लिए लागू, यदि ऐसे बोलीदाता को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई थी। यदि सफल बोलीदाता द्वारा ईएमडी पहले ही जमा कर दी गई थी, तो इसे परिचालन में आसानी के लिए सुरक्षा जमा में परिवर्तित कर दिया जाएगा)
7.	बोली खोलने का स्थान	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई – 400 001, महाराष्ट्र

टिपणी: -

- तकनीकी बोलियाँ उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएँगी जो उपरोक्त तिथि पर उपस्थित होना चाहते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम में परिवर्तन हो सकता है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क अधिकारी द्वारा ईमेल के माध्यम से या राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करके दी जाएगी। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को बाद में सूचित किया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

क) राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- अधिनियम के तहत प्राप्त पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।
- आवास के लिए निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित करना तथा देश में आवास स्टॉक को अद्यतित करना।
- सार्वजनिक एजेंसियों को आवास के लिए सेवायुक्त भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने के लिए प्रोत्साहित करना।

ख) रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, रायपुर चंडीगढ़, भुवनेश्वर, पटना और रांची में स्थित हैं।

3. उद्देश्य:

मुंबई में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए "ऑन कॉल आधार" पर सुविधा प्रबंधन सेवा एजेंसी की नियुक्ति।

4. वस्तुनिष्ठ:

मुंबई में राष्ट्रीय आवास बैंक के फ्लैटों और कार्यालय का नियमित रखरखाव।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

5. कार्य का दायरा

बैंक के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय और निम्नलिखित स्थानों पर आवासीय फ्लैटों में कार्य के दायरे में वर्णित सेवाएं प्रदान करना:

क्र.सं.	संपत्ति का स्थान	पूरा पता	संपत्ति की प्रकृति (भूमि/भवन/मकान/फ्लैट आदि)
1	फोर्ट मुंबई	राष्ट्रीय आवास बैंक, तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001, महाराष्ट्र	1 क्षेत्रीय कार्यालय भवन
1	बोरीवली मुंबई	पार्क-वेस्ट-4 सीएचएस, रहेजा एस्टेट, कुलुपवाड़ी, बोरीवली (ई), मुंबई	16 आवासीय फ्लैट
2	मोरू महल, बांद्रा (पश्चिम)	फ्लैट 501, मोरू महल अपार्टमेंट, डॉ. अंबेडकर रोड, पाली माला रोड, बांद्रा पश्चिम, मुंबई	1 आवासीय फ्लैट
3	वसुंधरा, जानकी कुटीर, जुहू	फ्लैट नंबर 701, 7वीं मंजिल, वसुंधरा बिल्डिंग, प्लॉट 14, 22, जानकी कुटीर, जुहू, मुंबई	1 आवासीय फ्लैट
4	लवडेल, जुहू	फ्लैट नंबर 304, तीसरी मंजिल, लवडेल अपार्टमेंट, जुहू तारा रोड, सांताक्रूज़ (पश्चिम), मुंबई	1 आवासीय फ्लैट
5	नवरोज बांद्रा (पश्चिम)	फ्लैट नंबर 10ए, 10वीं मंजिल, पाली हिल नवरोज परिसर को-ऑप सोसाइटी, नंबर 66, पाली हिल, नरगिस रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई	1 आवासीय फ्लैट

यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि सेवा प्रदाता को मुंबई में बैंक के स्वामित्व वाले किसी अन्य फ्लैट पर कार्य के दायरे में वर्णित रखरखाव सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। इन सेवाओं के लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

- 5.1 सभी विद्युत फिटिंग का निवारक रखरखाव (केवल मरम्मत और फ्लैट के निवासी/मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (एमआरओ) की अनुमति से प्रतिस्थापन, जैसा भी मामला हो)। इसके अलावा, ब्रेकडाउन का रखरखाव बैंक द्वारा निवासी/मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (एमआरओ) की सलाह के अनुसार किया जाएगा
- 5.2 रखरखाव अनुबंध में सभी प्रकार के नियमित निवारक और ब्रेकडाउन रखरखाव कार्य शामिल होंगे, जिनमें बढ़ईगिरी, प्लंबिंग और सैनिटरी, बागवानी, आवासीय फ्लैटों और वीओएफ के शौचालय, वॉश बेसिन, शौचालय के फर्श टाइल क्षेत्र, दर्पण, एजॉस्ट पंखे, गीजर आदि की गहन सफाई (कीटाणुनाशक सामग्री से), सामान्य क्षेत्र, सीढ़ियों, ड्राइववे, छत आदि की समय-समय पर गहन सफाई शामिल है, जो आमतौर पर कार्यालय और आवासीय परिसर में होती है। इन कार्यों को करने के लिए आवश्यक कुशल/अर्धकुशल तकनीशियन और सहायक को सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित किया जाएगा ताकि भवनों के उपयोगकर्ताओं को किसी भी कठिनाई से बचाया जा सके।
- 5.3 अनुबंध में साइट पर जनशक्ति की स्थायी तैनाती का प्रावधान शामिल नहीं है। तथापि, आवश्यक जनशक्ति (कुशल/अर्धकुशल तकनीशियन एवं सहायक) ठेकेदार द्वारा कॉल के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यों के उचित समन्वय और सुचारू संचालन के लिए, ठेकेदार को बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई किसी भी शिकायत के समाधान हेतु बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक पर्यवेक्षक (जो बैंक के कर्मचारियों के लिए एकमात्र संपर्क बिंदु होगा) नियुक्त करना होगा। पर्यवेक्षक के पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।
- 5.4 आवासीय फ्लैटों में छत पंखों की सफाई 3 महीने में एक बार कॉल के आधार पर की जाएगी।
- 5.5 आवासीय फ्लैटों और वीओएफ के शौचालय, वॉश बेसिन, शौचालय फर्श टाइल क्षेत्र, दर्पण, एजॉस्ट पंखे, गीजर आदि की हर पखवाड़े में एक बार गहन सफाई (कीटाणुनाशक सामग्री से) करना।
- 5.6 खराब मोटर/पंप, गीजर, सीलिंग फैन, एजॉस्ट फैन, ट्यूब लाइट सेट, नल, बिबकॉक, बॉल कॉक, शॉवर हैंडल, कैपेसिटर, वाटर टैंक कवर, फ्लशिंग व्यवस्था आदि की मरम्मत एएमसी के तहत सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी।
- 5.7 यदि कोई पंप/मोटर/सीलिंग फैन/गीजर क्लिफायती मरम्मत से परे हो तो बैंक सेवा प्रदाता से उसे बदलने का अनुरोध करेगा।
- 5.8 फ्लैटों और कार्यालय परिसर के रखरखाव और सेवाओं से संबंधित एजेंसी को समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को करना।
- 5.9 किसी भी आपात स्थिति में, एजेंसी को बैंक की किसी भी आपातकालीन आवश्यकता को पूरा करने, आवश्यक मरम्मत, दोष और समस्या को हल करने के लिए किसी भी विषम समय (1900 बजे से 0700 बजे तक) पर अपने तकनीकी

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

व्यक्तियों को साइट पर तैनात करना होगा।

5.10 प्रतिस्थापन के लिए निकाली गई पुरानी सामग्री सेवा प्रदाता को लेनी होगी तथा इसका समायोजन वर्तमान सीपीडब्ल्यूडी दरों के अनुसार सेवा प्रदाता के मासिक बिलों से किया जाएगा।

5.11 मरम्मत/प्रतिस्थापन में उपयोग किया जाने वाला ब्रांड:

क्र.सं.	सामग्री		ब्रांड का नाम
सिविल और प्लंबिंग आइटम			
1.	सीमेंट	:	एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक
2.	दीवार की टाइलें	:	कजारिया, निटको, सोमानी
3.	ओबीडी	:	एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, शालीमार पेंट्स,
4.	सिंथेटिक इनेमल पेंट	:	एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक, शालीमार पेंट्स
5.	प्लास्टिक इमल्शन पेंट	:	शालीमार पेंट्स, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक
6.	जलरोधी सीमेंट पेंट	:	स्नोसेम, ड्यूरोसेम
7.	सेनेटरी आइटम्स	:	जगुआर, पैरीवेयर, सीईआरए, हिंदवेय
इलेक्ट्रिक आइटम			
7.	सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, वितरण बोर्ड, आइसोलेटर, एमसीबी चेंजओवर, एसपीएन, टीपीएन,		बीएचईएल, बजाज, विप्रो, हैवेल्स सीमेंस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, केल्विन,
8.	प्रकाश व्यवस्था		फिलिप्स, विप्रो, हैवेल्स, सूर्या, सिस्का
9.	बिजली का तार – सिंगल कोर 3 कोर		हैवेल्स, कोलमैन केबल, स्टेराइल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, के-फ्लेक्स, फिनोलेक्स

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

10.	औद्योगिक केबल (HT 3 कोर, HT सिंगल कोर) LT पावर केबल - कॉपर)	हैवेल्स, कोलमैन केबल, स्टेराइल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, के-फ्लेक्स, फिनोलेक्स
11.	स्विच, सॉकेट, मॉड्यूलर शीट, टॉप	क्रैबट्री, एंकर, हैवेल्स, लेग्रैंड, फिलिप्स, श्राइडर
* सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में उल्लिखित अन्य सभी वस्तुएं बोलीदाता द्वारा बैंक की आवश्यकता/निर्देशानुसार उपलब्ध कराई जानी आवश्यक हैं।		

- 5.12 सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य हेतु नियुक्त कार्मिक ऊपर वर्णित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हों। इस संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा प्रमाणन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 5.13 एक साइट से दूसरी साइट पर जनशक्ति के दौरे के लिए कोई परिवहन शुल्क नहीं दिया जाएगा और सभी जनशक्ति ऊपर उल्लिखित किसी भी साइट पर बैंक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
- 5.14 यदि निष्पादित कार्य में कोई दोष पाया जाता है, तो सेवा प्रदाताओं को बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने जोखिम/लागत और परिणामों पर संतोषजनक ढंग से सुधार, मरम्मत/प्रतिस्थापन करना होगा। आउटसोर्स की गई मरम्मत संबंधित कंपनियों/उत्पादों के अधिकृत सेवा केंद्र के माध्यम से की जानी होगी।
- 5.15 अनुबंध में वर्णित किसी भी कार्य के निष्पादन के दौरान और उक्त कार्य के पूरा होने के बाद, सेवा प्रदाता द्वारा कार्य की अतिरिक्त सामग्री/मलबे का इस प्रकार निपटान किया जाना चाहिए कि इससे फ्लैटों में रहने वालों को कोई सार्वजनिक व्यवधान/असुविधा न हो। कूड़े/मलबे का निपटान स्थानीय कानूनों के अनुसार उपयुक्त, अनुमोदित नगरपालिका डंपिंग ग्राउंड पर अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इस कार्य के दायरे में इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5.16 ठेकेदार द्वारा बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली, कामगारों को उपकरण, सुरक्षा उपकरण, मचान, सीढ़ियां, उपकरण आदि बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 5.17 कार्य में सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाले किसी भी सामग्री/भाग की गुणवत्ता मानक होनी चाहिए तथा बैंक द्वारा अनुमोदित या सुझाए गए अनुसार अनुमोदित ब्रांड और मानक गुणवत्ता के निर्माण की होनी चाहिए।
- 5.18 3500/- रुपये से कम आधार मूल्य वाली किसी भी वस्तु को निम्नलिखित तरीके से प्रतिस्थापित/मरम्मत किया जाएगा:

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

- प्रतिस्थापित सामग्री/पुर्जे (सीपीडब्ल्यूडी डीएसआर में उपलब्ध वस्तुएँ) की लागत, बैंक के अधिभोगी अधिकारियों/अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सेवा प्रदाता को अलग से भुगतान की जाएगी। सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिल लागू सीपीडब्ल्यूडी डीएसआर के अनुसार होने चाहिए।
- यदि ऐसी विशिष्ट वस्तुओं की दरें सीपीडब्ल्यूडी डीएसआर में उपलब्ध नहीं हैं, तो भुगतान उस क्षेत्र की प्रचलित स्थानीय बाजार दरों पर माना जाएगा जिसके लिए सेवा प्रदाता को संबंधित खरीदे गए बिलों/चालानों/डिलीवरी पर्ची की प्रतियां जमा करनी होंगी। बैंक उचित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर मामले-दर-मामला आधार पर/संबंधित वस्तु के लिए उचित कार्टेज, 15% लाभ और ओवरहेड शुल्क (सीपी एंड ओएच) और लागू जीएसटी का भुगतान करने पर विचार कर सकता है।

- 5.19 हालाँकि, 3,500/- रुपये (मात्र तीन हजार पाँच सौ रुपये) से अधिक की कोई भी एकल खरीदारी सेवा प्रदाता द्वारा बैंक के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (एमआरओ) के प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी। बैंक चाहे तो सामग्री/पुर्जों की आपूर्ति की व्यवस्था करने का विकल्प भी अपने पास रख सकता है।
- 5.20 यदि सेवा प्रदाता को किसी वस्तु/कार्य के लिए बैंक को कोई कोटेशन प्रस्तुत करना अपेक्षित है, तो सेवा प्रदाता को 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर उसे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा।
- 5.21 सेवा प्रदाता को लैंडलाइन और मोबाइल फोन के माध्यम से हर समय संपर्क में रहना होगा तथा आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए विषम समय (1900 बजे से 0700 बजे तक) में भी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।
- 5.22 किसी भी शिकायत के समाधान के लिए समय सीमा शिकायत दर्ज होने से 48 घंटे के भीतर होगी। इस अवधि से अधिक देरी होने पर बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर उचित दंड लगाया जाएगा।
- 5.23 कार्य के समय पर निष्पादन के लिए सभी आवश्यक उपकरण, टैकल, मचान, झूला, ब्रश, झाड़ू, सीढ़ियाँ, ट्रॉलियाँ, यंत्र/मल्टीमीटर और अन्य आवश्यक उपकरण, जिनमें अन्य विविध वस्तुएँ शामिल हैं, सेवा प्रदाता को अपनी उद्धृत दरों के भीतर ही व्यवस्थित करने होंगे और इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक के किसी भी स्थान पर किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए अन्य सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सेवा प्रदाता द्वारा कार्य के इस दायरे में सुनिश्चित/व्यवस्थित की जानी होगी।
- 5.24 सेवा प्रदाता को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी नियमों और विनियमों का पालन करना होगा और अपने खर्चे पर उनके लिए उचित और पर्याप्त बीमा कवर नोट आदि की व्यवस्था करनी होगी। राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारियों के साथ किसी भी दुर्घटना की स्थिति में किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

इसके अलावा, सेवा प्रदाता को दुर्घटना या दुर्घटना के कारण किसी भी वैधानिक कानून/मुआवजे के उल्लंघन के कारण बैंक के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में क्षतिपूर्ति बांड जमा करना होगा।

- 5.25 सेवा प्रदाता अपने द्वारा तैनात कार्मिकों के त्वरित एवं प्रभावी कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होगा। वह अपने कार्मिकों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- 5.26 बैंक को यह अधिकार होगा कि वह सेवा प्रदाता द्वारा परिसर/साइट पर कार्य के लिए तैनात किसी भी व्यक्ति को कार्य से वंचित कर दे/बदल दे, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है।
- 5.27 सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कार्मिक सेवा प्रदाता के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में होंगे।
- 5.28 यदि राष्ट्रीय आवास बैंक को पता चलता है कि किसी कार्मिक ने (i) गंभीर कदाचार किया है या उस पर आपराधिक कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है, या (ii) किसी कार्मिक के प्रदर्शन से असंतुष्ट होने का उचित कारण है, तो सेवा प्रदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के लिखित अनुरोध पर, इसके कारणों को निर्दिष्ट करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक को स्वीकार्य योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति को तुरंत प्रतिस्थापन के रूप में उपलब्ध कराएगा।
- 5.29 भवन निर्माण सामग्री के कचरे/मलबा/समान अनुपयोगी, विघटित या अपशिष्ट पदार्थों का यांत्रिक तरीकों से निपटान, जिसमें अनुमोदित नगरपालिका डंपिंग ग्राउंड पर लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग शामिल है, सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी। कार्य पूरा होने के बाद सेवा प्रदाता द्वारा साइट को साफ़ किया जाएगा।

सेवा प्रदाता बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में शिकायत रजिस्टर और शिकायत की स्थिति बनाए रखेगा।

एसी रखरखाव सेवाओं का दायरा:

वर्तमान में बैंक के निम्नलिखित चार स्थानों पर कुल 15 एसी हैं:

- क) मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (एक स्प्लिट एसी और 2 विंडो एसी)
- ख) नवरोज़ (6 स्प्लिट एसी)
- ग) जानकी कुटीर (3 स्प्लिट एसी)
- घ) लवडेल (3 एसीएस)

हालाँकि, इन एसी का स्थान बदला जा सकता है और सेवा प्रदाता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एसी का रखरखाव करना होगा।

सेवा प्रदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे एसी की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साइट पर जाएं। प्लास्टिक पार्ट्स, शीट मेटल पार्ट्स, कंडेंसर कॉइल और कूलिंग कॉइल एएमसी के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।

- गैस चार्जिंग, विद्युत पुर्जे, कॉन्टैक्टर, कनेक्टर, पंखा मोटर, कंप्रेसर और त्रैमासिक नियमित सेवाएँ एएमसी के अंतर्गत आएंगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

- पुर्जों की आपूर्ति दोषपूर्ण पुर्जों के प्रतिस्थापन के बदले में की जाएगी।
- सामान्य टूट-फूट के लिए एसी का नियमित निरीक्षण और सफाई की जानी चाहिए।
- बोलीदाता को बैंक की संतुष्टि के लिए साइट पर कार्य के उचित निष्पादन के लिए सभी उपकरण, टैकल, सीढ़ी आदि उपलब्ध कराने होंगे।

सेवा प्रदाता द्वारा समस्या का समाधान 24 घंटे के भीतर किया जाएगा तथा किसी भी शिकायत के समाधान के लिए समय-सीमा शिकायत दर्ज होने से 48 घंटे होगी।

उपभोग्य सामग्रियों का भुगतान वास्तविक डीएसआर/बाज़ार दरों पर किया जाएगा। इन तीनों के लिए वरीयता निम्नानुसार होगी:

डीएसआर → बाजार दर (केवल उस स्थिति में जब वस्तु नवीनतम डीएसआर में उपलब्ध न हो)

6. अनुबंध की अवधि:

यह अनुबंध प्रारंभ में एक वर्ष के लिए वैध होगा। हालाँकि, बैंक सेवा प्रदाता/कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के आधार पर, अनुबंध को दो (2) वर्षों के लिए और बढ़ा सकता है।

एलओए की स्वीकृति की तिथि या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित कोई अन्य तिथि अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि होगी ("प्रारंभ तिथि")

नोट:

यह आरएफपी उन कार्यों, गतिविधियों, जिम्मेदारियों और सेवाओं का वर्णन करने में संपूर्ण नहीं है जिनके लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा में भाग लेकर, स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि यदि कोई कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाएं जो या तो इस आरएफपी में विशेष रूप से वर्णित नहीं हैं या विशेष रूप से वर्णित हैं, लेकिन नियामक/वैधानिक परिवर्तनों के कारण उपयुक्त परिवर्तन/संशोधन से गुजरना पड़ता है और अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त कहा जाता है, ऐसे कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाएं (लागू परिवर्तनों के साथ, यदि कोई हो) इस आरएफपी और बोलीदाता की प्रतिक्रिया के तहत सेवाओं के दायरे में निहित और शामिल मानी जाएंगी उसी सीमा तक और उसी तरह जैसे कि इस आरएफपी और बोलीदाता की प्रतिक्रिया में विशेष रूप से वर्णित हैं।

7. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

7.1 सामान्य :-

- विकास, तैयारी, एवं प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो एवं रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अतिरिक्त, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी विधिक संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा और स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र बोलीदाता को सूचीबद्ध करने/चयन करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज में विनिर्दिष्ट चयन मानदंडों को अपने पूर्ण विवेक से लागू कर सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करते ही यह सुनिश्चित करता है, उसे आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तें स्वीकार है।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

संपर्क व्यक्ति: पुनीत चौहान क्षेत्रीय प्रबंधक puneet.chauhan@nhb.org.in 011-39187176	अमित सिन्हा उप महाप्रबंधक amit.sinha@nhb.org.in 011-39187122
---	--

- राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक से, निविदा/आरएफपी बंद होने के बाद भी किसी बोलीदाता/बोलीदाताओं से अतिरिक्त जानकारी या सामग्री मांग सकता है और प्रदान की गई ऐसी सभी जानकारी और सामग्री को उस बोलीदाता की प्रतिक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) बोलियां जमा करने की समय सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।
- बोलीदाता को बोली खोलने की तिथि और/या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि पर वित्तीय सेवा विभाग/वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग या राष्ट्रीय आवास बैंक में से किसी द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित न किया गया हो।
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को उनके आरएफपी के परिणाम के बारे में यथाशीघ्र लिखित रूप में, डाक द्वारा या अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करके सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

8.1 बोली-पूर्व बैठक

बोली-पूर्व बैठक 14.08.2025 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित की जाएगी।

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं की शंकाओं के समाधान हेतु, राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में उल्लिखित तिथि और समय पर एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित करने का इरादा रखता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न, लिखित रूप में, ऊपर दिए गए पते पर 13.08.2025 तक या उससे पहले ईमेल या डाक द्वारा पहुँच जाने चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोली-पूर्व बैठक के बाद किसी भी बोलीदाता के किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली-पूर्व बैठक में ही दिया जाएगा। केवल बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को ही बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

प्रस्ताव/बोली प्रस्तुत करने से पहले, सेवा प्रदाताओं को उस स्थल का दौरा करने की सलाह दी जाती है जहां कार्य किया जाना है।

8.2 निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी

<http://www.nhb.org.in>

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

8.3 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी स्थिति में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। "ठीक", "स्वीकृत", "विख्यात", जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ. बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.4 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर पोस्ट किया जाएगा
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.5 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

8.6 मास्कड वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता को राष्ट्रीय आवास बैंक को अलग से प्रस्तुत की जा रही वास्तविक मूल्य बोली (राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्दिष्ट

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

प्रारूप के अनुसार) की एक प्रति, वास्तविक मूल्यों को छिपाते हुए, प्रस्तुत करनी होगी। यह अनिवार्य है। यदि बोली को उचित रूप से छिपाकर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि 'छिपी हुई वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य को छोड़कर) प्रस्तुत वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से मेल नहीं खाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय बोली/निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.7 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

8.8 बोली से संबंधित दस्तावेज (कृपया प्रारूप में अलग से निर्धारित निर्देशों का पालन करें, यदि कोई हो)

निविदा आवेदन बोलीदाताओं द्वारा सीलबंद लिफाफे में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाएगा:

क) अलग सीलबंद लिफाफा जिसमें भाग क: तकनीकी बोली शामिल है:

1. विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगा हुआ आरएफपी दस्तावेज़।
2. अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
3. अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
4. विचलनों की सूची, यदि कोई हो, अनुलग्नक IV में निर्धारित प्रारूप में;
5. अनुलग्नक VII में निर्धारित प्रारूप में तकनीकी बोली, अनुलग्नक VIA और अनुलग्नक VIB के साथ
6. अनुलग्नक X में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
7. अनुलग्नक XI में निर्धारित योग्यता पत्र का प्रारूप;
8. अनुलग्नक XII में दिए गए प्रारूप में समाधान मैट्रिक्स;
9. अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता अनुलग्नक XIII में दिए गए प्रारूप में (अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर स्पष्ट रूप से टाइप करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए और बाद में राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से भी उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तिथि बोलीदाता द्वारा बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए)
10. अनुलग्नक XIV में दिए गए प्रारूप में सेवा स्तर समझौता;
11. अनुलग्नक XVII में खंड 8.39 के अनुसार प्रमाण पत्र।
12. 31.12.2024 तक वैध पैनल के साथ आरबीआई/एसबीआई/पीएसबी/एफआई से प्राप्त पैनल पत्र।

ख) अलग सीलबंद लिफाफा जिसमें भाग ख: वाणिज्यिक बोली शामिल है:

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

1. अनुलग्नक VIII के अनुसार वाणिज्यिक बोली कवरींग पत्र
2. अनुलग्नक IX के अनुसार वाणिज्यिक बोली प्रारूप

ग) बाहरी सीलबंद लिफाफा

बाहरी सीलबंद लिफाफे में उपरोक्त दो लिफाफे (भाग क: तकनीकी बोली और भाग ख: वाणिज्यिक बोली) होने चाहिए, जिन पर " ऑन कॉल आधार पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी (आरएफपी)" लिखा होना चाहिए।

8.9 बोलियों का प्रारूप और हस्ताक्षर

आरएफपी के खंड 8.8 में उल्लिखित अनुसार विधिवत भरे हुए अनुलग्नकों के साथ वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत की जानी है।

मूल बोलियों को अमिट स्याही से टंकित या लिखा जाएगा एवं बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले को अनुबंध से जोड़ने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोली के सभी पृष्ठों पर अपने आद्याक्षर करने होंगे।

8.10 बोलियों को सील करना और चिह्नित करना

- निविदा दस्तावेज राष्ट्रीय आवास बैंक को नीचे दिए गए पते पर भेजा जाएगा:

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय आवास बैंक
तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग
45, वीर नरीमन रोड
फोर्ट, मुंबई – 400001, महाराष्ट्र

- सभी लिफाफों पर संपर्क नंबर और ई-मेल पते के साथ बोलीदाता का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए।
- बोलीदाता खंड 8.8 में उल्लिखित विधिवत भरे हुए अनुबंधों के साथ वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को सील करेगा।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिह्नित नहीं किया गए हों तो बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और उपाश्रय के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

8.11 बोली मुद्रा

बोलियाँ केवल भारतीय रुपये में ही उद्धृत की जाएँगी। भारतीय रुपये के अलावा अन्य मुद्राओं में प्रस्तुत बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.12 बयाना राशि जमा (ईएमडी)

- क) सभी बोलियों के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) की वापसी योग्य ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि (ईएमडी) संलग्न होनी चाहिए।

खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	नेशनल हाउसिंग बैंक
2	लाभार्थी का पता	बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	केनरा बैंक
4	लाभार्थी के बैंक शाखा का पता	फोर्ट मेन, वार्डन हाउस, सर पीएम रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी का बैंक खाता सं.	0239201003212
7	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	CNRB0000108
8	एमआईसीआर सं.	400015024

- ख) भुगतान का प्रमाण संलग्न करके तकनीकी बोली वाले लिफाफे में डालना होगा; इसके अभाव में बोली पर आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता। बोलीदाताओं को **अनुलग्नक -X** में संलग्न ईसीएस अधिदेश प्रपत्र भी विधिवत रूप से भरकर जमा करना होगा।

- ग) एमएसई/स्टार्ट-अप बोलीदाताओं के लिए: सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)/स्टार्ट-अप बोलीदाताओं को बोली सुरक्षा यानी बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा करने से छूट दी गई है। हालांकि, बोली सुरक्षा के बदले में, ऐसे बोलीदाताओं को "ईएमडी/बोली सुरक्षा घोषणा" प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें यह वचन दिया गया हो कि यदि वे बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं, या यदि उन्हें अनुबंध प्रदान किया जाता है

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

और वे प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अनुबंध/सेवा स्तर समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं, या निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक के विवेक पर, भविष्य में किसी भी प्रस्ताव के अनुरोध में भाग लेने से कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए निलंबित/ब्लैकलिस्टमें डाला जा सकता है। ऐसी घोषणा को अनुलग्नक-XIV में संलग्न प्रारूप के अनुसार, उनके संगठन के लेटर हेड पर उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- घ) इसके अलावा, सफल बोलीदाता को कार्य आरंभ करने से पहले निष्पादन बैंक गारंटी के माध्यम से ईएमडी राशि के बराबर राशि सुरक्षा जमा के रूप में जमा करनी होगी।
- ङ) उचित रूप और तरीके से ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- च) ईएमडी से छूट के किसी भी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि भारत सरकार द्वारा ऐसी छूट प्रदान नहीं की जाती है।
- छ) इसमें या निश्चित समझौते में अन्यथा प्रावधान के अलावा, सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि कार्य/अनुबंध के पुरस्कार के 30 दिन बाद या उससे पहले निविदा प्रक्रिया पूरी होने पर वापस कर दी जाएगी।
- ज) यहां या निश्चित समझौते में अन्यथा प्रदान की गई बातों को छोड़कर, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि, आरएफपी की शर्तों के अनुसार, एसएलए के निष्पादन और कुल अनुबंध मूल्य के 50,000/- रुपये के मूल्य के पीबीजी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी।

झ) ईएमडी प्रतिभूति जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोलियां वापस ले लेता है;
- यदि बोलीदाता कोई ऐसा बयान देता है या कोई ऐसा फॉर्म संलग्न करता है जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय झूठा/गलत निकलता है;
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है; और
- पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौते के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

8.13 कार्यान्वयन अनुसूची

सफल बोलीदाता कार्य के दायरे के अनुसार उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेगा, जो संभवतः निम्न प्रकार है:

क्र.सं.		
1	कार्य के दायरे के अनुसार सभी सेवाओं का प्रारंभ।	01 सितंबर, 2025 से प्रभावी

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

8.14 प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)

सफल बोलीदाता को अनुलग्नक-XVI में निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में 50,000/- रुपये मूल्य की प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रदान करने की आवश्यकता होगी। पीबीजी अनुबंध अवधि की समाप्ति के कम से कम 6 महीने बाद तक या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तय की गई अन्य विस्तारित अवधि तक वैध होना चाहिए। पीबीजी को सफल बोलीदाता द्वारा श्रम कानूनों और किसी भी अन्य कानून/नियम/विनियमों सहित लागू वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन सहित आरएफपी टर्म/शर्तों में गैर-प्रदर्शन या डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ राष्ट्रीय आवास बैंक के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। अनुबंध की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक, पीबीजी को लागू करने का वारंट कर सकती है, और यदि विक्रेता/बोलीदाता के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप परिसमाप्त क्षति/जुर्माना लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरएफपी शर्तों में गैर-निष्पादन या चूक के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करना आदि शामिल है, अंतिम होगा तथा सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

8.15 बोलियों की वैधता की अवधि

- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्य और अन्य शर्तें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

8.16 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत रहेंगे।

8.17 देर से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

8.18 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

- तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक
तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,
45, वीर नरीमन रोड,
फोर्ट, मुंबई - 400001, महाराष्ट्र

- बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, आरएफपी लागत और ऐसे अन्य विवरण जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेकानुसार उचित समझे, तकनीकी बोली खोलने के समय घोषित किए जाएंगे।

8.19 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.20 प्रारंभिक जांच

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं एवं बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक, अपने विवेकानुसार, बोली में किसी भी मामूली कमी, गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकता है जो भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते ऐसी छूट किसी भी बोली लगाने वाला की सापेक्ष रैंकिंग को प्रभावित या पक्षपात नहीं करती है।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम है।

8.21 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

8.22 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा समुदेशित कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही निपटाएगा।

8.23 मूल्य संरचना और भिन्नता

- बोलीदाता को **अनुलग्नक IX** में दी गई संरचना, यदि कोई हो, के अनुसार लागत मैट्रिक्स स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विचलन पर बोली अस्वीकृत हो सकती है। साथ ही, वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ भी विकल्प दिए गए हों, बोली अस्वीकृत की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। अनुबंध अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए करों (वर्तमान और भविष्य) को छोड़कर परामर्श लागत से संबंधित किसी भी मूल्य परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- वैधानिक संशोधन के अनुसार केवल वास्तविक जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि, कार्य-पत्र की स्वीकृति की तिथि (आरंभ तिथि) या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित कोई अन्य तिथि होगी। यदि लागू हो, तो सहायक सेवाओं आदि के नवीनीकरण के लिए भी यही तिथि मान्य होगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

8.24 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस परियोजना के अंतर्गत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए विक्रेता के पास मुंबई में उचित और पर्याप्त सहायता तंत्र होना चाहिए।

8.25 मैनुअल/ड्राइंग

विक्रेता को अनुबंध अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए संपूर्ण तकनीकी और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उनमें प्रदान की गई सेवाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

8.26 बोली मूल्यांकन

तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता, आरएफपी के पूर्व-योग्यता मानदंड के अनुसार, कार्यों को पूरा करने के लिए "अनुलग्नक V- वाणिज्यिक बोली" के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत दर उद्धृत करते हुए, परियोजना के लिए चुना जाएगा।"

8.27 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.28 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली को छोड़कर, बोली के तकनीकी या अन्य भागों में किसी भी रूप में या किसी भी कारण से कीमतों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

8.29 बोली लगाने वाली फर्मों के नियम और शर्तें

बोली लगाने वाली फर्मों को बोली पर अपनी स्वयं की शर्तें और नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है और यदि वे प्रस्तुत की जाती हैं तो उन्हें उनकी बोली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें आरएफपी के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की नियम व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड अनुलग्नक- IV के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

8.30 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

8.31 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.32 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रुचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

8.33 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

8.34 विधि का अनुपालन

- क) विक्रेता/बोलीदाता अपने, अपने व्यवसाय, अपने कर्मचारियों या उनके प्रति अपने दायित्वों और इस निविदा के सभी प्रयोजनों से संबंधित या उन पर लागू सभी कानूनों का पालन करने, उनका पालन करने, उनका अनुपालन करने और राष्ट्रीय आवास बैंक को सभी लागू कानूनों के बारे में सूचित करने का वचन देगा और राष्ट्रीय आवास बैंक और उसके कर्मचारियों/अधिकारियों/स्टाफ/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों को ऐसा करने में उसकी ओर से किसी भी विफलता या चूक से और देयता के सभी दावों या मांगों और सभी परिणामों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी चूक या उपरोक्त और उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य वैधानिक दायित्वों के अनुरूप या अनुपालन करने में उसकी ओर से विफलता के कारण हो सकते हैं।
- ख) विक्रेता को इस परियोजना के किसी भी उद्देश्य के लिए या किसी भी लागू कानून, सरकारी विनियमन/दिशानिर्देशों के तहत अपने स्वयं के व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक या अपेक्षित सभी सहमति, अनुमति, अनुमोदन, लाइसेंस आदि तुरंत और समय पर प्राप्त करने होंगे और परियोजना/अनुबंध की अवधि के दौरान उन्हें वैध और लागू रखना होगा, और ऐसा करने में किसी भी विफलता या चूक की स्थिति में, राष्ट्रीय आवास बैंक और उसके कर्मचारियों/अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों को देयता के सभी दावों या मांगों और सभी परिणामों से क्षतिपूर्ति करनी होगी, क्षतिपूर्ति करनी होगी, हानिरहित रखना होगा, बचाव करना होगा, सुरक्षा प्रदान करनी होगी और पूरी तरह से मुआवजा देना होगा जो उपरोक्त और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी वैधानिक दायित्वों के अनुरूप होने या अनुपालन करने में उसकी ओर से किसी भी चूक या विफलता के लिए उत्पन्न हो सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं और राष्ट्रीय आवास बैंक विक्रेता को उचित समय के भीतर देयता के ऐसे किसी भी दावे या मांग की सूचना देगा।
- ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन आदि से गुजरता है, तो इस अनुबंध को नई इकाई को सौंपा गया माना जाएगा और ऐसा कार्य इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

8.35 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता वारंटी देता है कि विक्रेता के रूप में उसके चयन की स्थिति में: -

- क) इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकार के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

- ख) यह आगे आश्वासन देता है कि डिलिवरेबल्स किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा, जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकार के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं।
- ग) यदि डिलिवरेबल्स किसी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या अतिलंघन के दावे का विषय बन जाते हैं, तो बोलीदाता अपनी पसंद और खर्च पर: (ए) राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए ऐसे डिलिवरेबल्स का उपयोग जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (बी) ऐसे डिलिवरेबल्स को गैर-उल्लंघनकारी बनाने के लिए उन्हें प्रतिस्थापित या संशोधित करेगा, बशर्ते कि प्रतिस्थापन या संशोधित डिलिवरेबल्स द्वारा उल्लंघनकारी डिलिवरेबल्स के समान कार्य किया जाए; या (सी) यदि उपयोग के अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं या डिलिवरेबल्स को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो डिलिवरेबल्स की वापसी स्वीकार करें और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लगाए गए जुमनि के अलावा समकक्ष उपकरण की खरीद के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत के साथ, ऐसे डिलिवरेबल्स के लिए बोलीदाता को भुगतान की गई किसी भी राशि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रतिपूर्ति करें। इसमें निहित उपायों के बावजूद, यदि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने में असमर्थता के कारण सेवा स्तर पूरा नहीं होता है तो बोलीदाता दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
- घ) बोलीदाता स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के व्यावसायिक तर्क, कार्यप्रवाह, प्रत्यायोजन और निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ व्यवसाय-संवेदनशील प्रकृति की हैं और इसलिए इन्हें सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों या वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के दायरे में उल्लिखित परियोजना के वांछित उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं और यदि प्रणाली आरएफपी में परिकल्पित विभिन्न आवश्यकताओं द्वारा समर्थित प्रक्रियाओं को सुगम बनाने में असमर्थ है, तो परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

8.36 झूठा/अधूरा विवरण

यदि बोलीदाता द्वारा दिया गया कोई भी कथन/घोषणा गलत या असत्य या अपूर्ण साबित होती है या निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसकी बोली/निविदा स्वीकार किए जाने की स्थिति में, अनुबंध के किसी भी चरण में निविदा प्रदान करने से संबंधित कोई भी जानकारी छिपाई जाती है, तो उसकी/उनकी बोलियां(यों)/निविदा(यें)//अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त रद्द/निरस्त किया जा सकता है:

8.37 यदि निविदा चरण में ऐसा विवरण पाया जाता है, तो उसकी कुल बयाना राशि/ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और निविदा/बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.38 यदि अनुबंध स्तर पर ऐसा कोई कथन पाया जाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेकानुसार पीबीजी का आह्वान करने सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में दिए गए प्रावधान के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

8.39 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ((डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को अनुलग्नक XVII में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

8.39.1 "बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

8.39.2 "इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -

- (i) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कोई इकाई; या
- (ii) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कोई सहायक कंपनी या इकाई; या
- (iv) कोई इकाई जो ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो; या
- (v) कोई इकाई जिसका लाभकारी स्वामी ऐसे देश में स्थित हो; या
- (vi) ऐसी इकाई का कोई भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- (vii) कोई साधारण व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

- (viii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

8.39.3 उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करने" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

- ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;
- iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;
- iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
- v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी एवं कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

8.39.4 एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

8.40 खरीद वरीयता

8.40.1 राष्ट्रीय आवास बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) और अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) या महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई को मौजूदा सरकारी नीति/दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर स्वीकार्य/लागू क्रय वरीयता देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एमएसई और एससी/एसटी/महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई को क्रय वरीयता, मूल्य बोली के मूल्यांकन के समय एल1 विक्रेता की तुलना में उक्त एमएसई द्वारा उद्धृत मूल्य के आधार पर तय की जाएगी।

8.40.2 राष्ट्रीय आवास बैंक मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप आदि से संबंधित विभिन्न सरकारी नीतियों/निर्देशों के तहत पात्र बोलीदाताओं को वरीयता देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.41 अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता

राष्ट्रीय आवास बैंक और बोलीदाता के बीच एक " अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा का समझौते" पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है। यदि उप-अनुबंध की अनुमति है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक, बोलीदाता और उप-ठेकेदार के बीच अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा का समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा। यह राष्ट्रीय आवास बैंक और बोलीदाताओं तथा/या उप-ठेकेदारों के बीच एक बाध्यकारी समझौता है। इस संधि के तहत, बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ निर्दिष्ट तरीके से कार्य पूरा करने के लिए सहमत होते हैं।

संभावित बोलीदाताओं द्वारा पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा का समझौते पर हस्ताक्षर करना बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक पूर्व-योग्यता है, हालाँकि, अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा का समझौते पर हस्ताक्षर करने से बोलीदाता को अनुबंध मिलने की गारंटी नहीं मिलती। अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा का समझौते, सफल बोलीदाता को दिए जाने वाले अनुबंध का एक हिस्सा मानी जाएगी। अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप **अनुलग्नक -XIII** के अनुसार होगा।

इस संबंध में, रा.आ.बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से श्री जोजनेश्वर शर्मा(jojneswar.sharma@gmail.com) और श्री राजेंद्र श्रीवास्तव (aaremes@yahoo.com) को सत्यनिष्ठा समझौते के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया है।

अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा का समझौते में उल्लिखित प्रतिबंधों को बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं या उपक्रमों के किसी भी उल्लंघन के लिए लागू किया जाएगा।

बोलीदाताओं को आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक अनुपालन कार्यक्रम (अन्य अनैतिक व्यवहार और स्पष्ट रूप रिश्त के प्रयोग को अस्वीकार करना) बनाने की भी सलाह दी जाती है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

9 बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक) और बोली मूल्यांकन पद्धति

i. तकनीकी बोली मूल्यांकन:

- केवल आरबीआई/एसबीआई/पीएसबी/एफआई, मुंबई के व्यापार "सुविधा प्रबंधन सेवाओं" के अंतर्गत सूचीबद्ध विक्रेता ही इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं और किसी अन्य बोलीदाता से प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे के मूल्यांकन के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। विक्रेता को 30.06.2025 तक आरबीआई/एसबीआई/पीएसबी/एफआई के साथ अपनी फर्म का सूचीबद्ध होना प्रस्तुत करना होगा।
- बोलीदाताओं को अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा हुआ) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

केवल उपरोक्त 2 दस्तावेज (तकनीकी बोली के साथ) प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं को ही तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

ii. वाणिज्यिक बोली मूल्यांकन:

आरएफपी के पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता, कार्यों को पूरा करने के लिए "अनुलग्नक IX- वाणिज्यिक बोली" के अनुसार न्यूनतम सेवा शुल्क (एफ) उद्धृत करते हुए, परियोजना के लिए चुना जाएगा।

10 वाणिज्यिक नियम और शर्तें

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना के लिए निम्नलिखित वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर ध्यान दें।

10.1 कीमत

- बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- वाणिज्यिक बोली के अनुसार मूल्य में सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), शुल्क, लेवी प्रभार, परिवहन, बीमा शामिल होना चाहिए।
- बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य, बोलीदाता द्वारा अनुबंध के निष्पादन की अवधि, अर्थात् एक वर्ष की अवधि के लिए, स्थिर रहेगा। अनुबंधित दरों और वार्षिक निष्पादन समीक्षा के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सेवाओं को दो वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
- समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

- ड) अनुबंधित दरों के आधार पर, राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेकानुसार पुनः ऑर्डर दे सकता है।
- च) किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए, वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लिखित अनुबंधित दर पर और इस आरएफपी की लागू शर्तों के अनुसार ऑर्डर दिया जाएगा। ऑर्डर स्वीकार न करने पर राष्ट्रीय आवास बैंक के विवेक पर जुर्माना लगाया जाएगा और इस आरएफपी को समाप्त कर दिया जाएगा।

10.2 भुगतान की शर्तें

बैंक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित संपूर्ण कार्य पूरा होने के बाद, बिल की 100% राशि जारी की जाएगी। आपूर्ति की गई वस्तु की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए बैंक आवश्यक परीक्षण प्रमाणपत्र/घोषणा/दस्तावेज मांग सकता है।

10.3 अनुबंध समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो सेवाओं के लिए भुगतान, लागू जुर्माना और टीडीएस/अन्य लागू करों की कटौती के बाद, प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

11 सामान्य नियम और शर्तें

- 11.1 बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आरएफपी और इसके अनुलग्नकों में दिए गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। आरएफपी दस्तावेजों में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत न करने, या पर्याप्त रूप से उत्तरदायी न होने वाले प्रस्ताव प्रस्तुत करने, या इस आरएफपी दस्तावेज के उत्तर के रूप में अनावश्यक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रस्ताव अस्वीकृत हो सकता है।
- 11.2 राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आरएफपी में किए गए सभी संशोधन आरएफपी का अभिन्न अंग बन जाएंगे और उन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। बोलीदाताओं को ऐसे किसी भी संशोधन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर नज़र रखनी होगी।
- 11.3 बोलीदाताओं को परियोजना के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव तैयार करते समय इस आरएफपी दस्तावेज की प्रत्येक पंक्ति को ध्यान में रखना होगा। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे प्रतिक्रिया/बोली जमा करने से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक से किसी भी मुद्दे का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें। प्रस्तुत बोलियाँ परियोजना के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हर दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए। अनुबंधित अवधि के दौरान कार्य के दायरे के अनुसार सभी कार्य पूरा करना सफल बोलीदाता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि किसी आवश्यकता को कम करके आंका जाता है या किसी आवश्यकता की सही परिप्रेक्ष्य में व्याख्या नहीं की जाती है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

- 11.4** राष्ट्रीय आवास बैंक को आवश्यकता विनिर्देशों को बदलने और बिना कोई कारण बताए संशोधित बोलियां या निविदा प्रक्रिया मांगने का अधिकार सुरक्षित है।
- 11.5** राष्ट्रीय आवास बैंक इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्राप्त न्यूनतम या किसी अन्य प्रस्ताव/बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए, देरी से प्राप्त या अपूर्ण प्रस्तावों सहित किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक अनुबंध के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी बोलीदाता से मिलने और चर्चा करने, या किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय अंतिम है और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- 11.6** यद्यपि सेवा समय सुबह 9.00 बजे से रात 9.00 बजे तक निर्धारित किया गया है, फिर भी चयनित बोलीदाता को राष्ट्रीय आवास बैंक की तत्काल आवश्यकता के मामले में बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपरोक्त समय के बाद भी सेवाएं प्रदान करनी होंगी।
- 11.7** अनुबंध में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, राष्ट्रीय आवास बैंक अनुबंध के तहत उपलब्ध अन्य उपायों के अलावा या अन्यथा निष्पादन बैंक गारंटी को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि सफल बोलीदाता अनुबंध / आदेश की किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहता है या अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है।
- 11.8** सभी प्रकार से अनुबंध के अंतर्गत कार्यों के निष्ठापूर्वक एवं संतोषजनक निष्पादन पर, सफल बोलीदाता का पीबीजी, यदि किसी कारणवश जब्त नहीं किया गया हो, तो कार्य/अनुबंध के पूरा होने/निष्पादित होने के 30 दिनों की अवधि के बाद राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी कर दिया जाएगा।
- 11.9** बोलीदाता को परियोजना/अनुबंध के लिए अपेक्षित योग्यता, अनुभव, कौशल आदि से युक्त जनशक्ति तैनात करनी होगी।
- 11.10** राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी अतिरिक्त जानकारी को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है और किसी भी बोलीदाता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है यदि राष्ट्रीय आवास बैंक की राय में, प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण है या बोलीदाता अनुबंध के लिए योग्य नहीं है।
- 11.11** प्रस्ताव का दायरा एकल बिंदु उत्तरदायित्व के आधार पर होगा, जो इस आरएफपी के तहत निर्दिष्ट उत्पादों और सेवाओं को एंड-टू-एंड समाधान के आधार पर पूरी तरह से कवर करेगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

11.12 वाणिज्यिक एवं तकनीकी बोलियों के सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर रहित बोलियों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11.13 प्रस्ताव/बोली प्रस्तुत करके, बोलीदाता, उसे दिए गए किसी भी कार्य के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ अनुबंध का शीघ्र निष्पादन करने के लिए सहमत होता है। यदि बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ वैध अनुबंध/सेवा स्तर समझौता निष्पादित करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक बोलीदाता के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्त हो जाएगा, और किसी अन्य बोलीदाता का चयन किया जा सकता है।

11.14 सेवा का समय और गुणवत्ता इस अनुबंध/अनुबंध का सार है। इनका पालन न करना अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

11.15 जुर्माना

यदि विक्रेता निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक विक्रेता के कारण प्रत्येक सप्ताह की देरी या उसके हिस्से के लिए कार्य आदेश मूल्य का 1% जुर्माना लगाएगा, जो आदेश मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन होगा। सप्ताह के अंश को सप्ताह के संदर्भ में देरी का पता लगाने के लिए एक पूर्ण सप्ताह के रूप में माना जाना है। एक बार अधिकतम सीमा पूरी हो जाने पर, राष्ट्रीय आवास बैंक आदेश को रद्द करने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, यदि वारंटी अवधि के दौरान उजागर किए गए दोषों का सुधार सात दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक इसे बाहर से ठीक करवा सकता है और इस पर होने वाले खर्च को प्रतिधारण धन से वसूल किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेक पर विक्रेता द्वारा देरी / गैर-प्रदर्शन के मामले में सुरक्षा जमा / पीबीजी को भी जब्त कर सकता है।

11.16 कार्य आदेश/कार्य-निर्णय पत्र की स्वीकृति

सफल बोलीदाता को कार्य आदेश/कार्य-आदेश पत्र जारी करने के लिए 50,000/- रुपये की सुरक्षा राशि/पीबीजी जमा करनी होगी। यह राशि कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने और विक्रेता द्वारा साइट सौंपे जाने तक बैंक के पास रखी जाएगी। राष्ट्रीय आवास बैंक सफल बोलीदाता को लिखित रूप में कार्य-आदेश पत्र/कार्य-आदेश पत्र दो प्रतियों में जारी करके सूचित करेगा। सफल बोलीदाता को कार्य-आदेश पत्र/कार्य-आदेश की तिथि से एक कार्यदिवस के भीतर इसकी प्रतिलिपि राष्ट्रीय आवास बैंक को विधिवत स्वीकृत और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके लौटानी होगी। हालाँकि, यदि निर्धारित अवधि के भीतर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक को कार्य-आदेश पत्र/कार्य-आदेश को रद्द करने का अधिकार है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

11.17 निश्चित समझौता

सफल बोलीदाता अनुबंध पत्र (एलओए) के 15 दिनों के भीतर या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तय की गई विस्तारित अवधि के भीतर राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ अनुबंध XIV में दिए गए प्रारूप में सेवा स्तर समझौते (एसएलए) और अनुलग्नक XV में गोपनीयता सह गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर करेगा। इस आरएफपी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अनुबंध/अनुबंधों के निष्पादन के संबंध में सभी व्यय, स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्क/खर्च सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। बोर्ड के प्रस्ताव या मुख्तारनामा की प्रति, जहाँ भी लागू हो, यह दर्शाते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति पत्र, अनुबंध और गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है।

11.18 कर

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा अवधि के दौरान प्रचलित वैधानिक दरों के अनुसार वास्तविक आधार पर केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। अन्य सभी लागू कर बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक विक्रेता को किए गए भुगतान के संबंध में लागू कानून/नियमों के अनुसार स्रोत पर आवश्यक कर कटौती करने के लिए अधिकृत है।

11.19 परिसमाप्त क्षतियाँ

यदि विक्रेता राष्ट्रीय आवास बैंक की संतुष्टि के अनुसार, सहमत विनिर्देशों और शर्तों के अनुसार अनुबंध का उचित निष्पादन पूरा करने में विफल रहता है या सहमत शर्तों के अनुसार परियोजना/अनुबंध को पूरा किए बिना ही उसे छोड़ देता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, लेकिन जुर्माने के रूप में नहीं। यह स्पष्ट किया जाता है कि परिसमाप्त क्षतिपूर्ति, खंड 11.15 के तहत लगाए गए जुर्माने, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी।

11.20 अनुबंध दस्तावेजों और सूचना का उपयोग

बोलीदाता/सफल बोलीदाता, राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध के निष्पादन के प्रयोजनों को छोड़कर, बोली दस्तावेज में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज या जानकारी का उपयोग नहीं करेगा।

11.21 असाइनमेंट

बोलीदाता/सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध के तहत निष्पादित करने के अपने दायित्वों को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी को नहीं सौंपेगा/उप-अनुबंध नहीं करेगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: ऑन कॉल आधार" पर मुंबई में बैंक के फ्लैटों और कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए एएमसी": राष्ट्रीय आवास बैंक

11.22 सार्वजनिक खरीद के लिए सत्यनिष्ठा संहिता:

बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों में सार्वजनिक खरीद हेतु सत्यनिष्ठा संहिता के पालन की घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे। घोषणा का प्रारूप और सार्वजनिक खरीद हेतु सत्यनिष्ठा संहिता अनुलग्नक-XIX- में संलग्न हैं। इस संहिता का उल्लंघन करने पर, बोलीदाता को न केवल पैनल सूची से हटाया जा सकता है, बल्कि उस पर अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जैसे अनुबंध रद्द करना, प्रतिबंध और ब्लैकलिस्ट में डालना या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कार्रवाई आदि।

11.23 निषेध/ब्लैकलिस्टिंग

यदि बोलीदाता सार्वजनिक खरीद हेतु सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन करता है, तो उसे प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। बोलीदाता को किसी अन्य कार्य या चूक के लिए भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय आवास बैंक की राय में, पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा संधि के प्रावधानों का उल्लंघन, घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न होना, कार्यों का परित्याग, कार्यों की घटिया गुणवत्ता, घोषणाओं का पालन न करना आदि जैसे कारणों से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(किसी भी विवाद की स्थिति में इस दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा)